भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न संख्या 366
02 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

**गहरे समुद्र में सहकारी मत्स्यपालन को बढ़ावा देना**

**366. श्री चंदन चौहान:**
**श्री अशोक कुमार रावतः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में सहकारी मत्स्यपालन को बढ़ावा देने की पहल के उद्देश्य क्या हैं और इसके कार्यान्वयन के लिए क्या संस्थागत व्यवस्थाएँ की गई हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहकारी समितियों और मछुआरा उत्पादक संगठनों के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय और मत्स्यपालन विभाग की क्या भूमिका है;

(ग) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) और मत्स्यपालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) जैसी योजनाओं के अंतर्गत समुद्री अवसंरचना के विकास के लिए क्या सहायता प्रदान की जा रही है; और

(घ) इन प्रयासों से तटीय आजीविका सशक्तिकरण, मत्स्य निर्यात वृद्धि और सतत संसाधन प्रबंधन के संदर्भ में क्या परिणाम अपेक्षित हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री**

**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार प्रमुख योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र की समग्र वृद्धि और मछुआरों तथा मत्स्य किसानों के लाभ को बढ़ाना है। PMMSY का एक प्रमुख उद्देश्य पारंपरिक और लघु-स्तरीय मछुआरों को डीप-सी फिशिंग के लिए सशक्त बनाना है। PMMSY के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों को डीप-सी फिशिंग वेसेल्स की खरीद तथा निर्यात क्षमता के लिए मौजूदा फिशिंग वेसेल्स को अपग्रेड करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

"होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच" अपनाते हुए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय के साथ एक संयुक्त कार्य समूह [जाइंट वर्किंग ग्रुप (JWG)] के माध्यम से डीप-सी फिशिंग, वैल्यू-चैन विकास, प्रसंस्करण और निर्यात में लघु-स्तरीय मछुआरों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सहयोग कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय सहकारी संस्थाओं को मजबूत करके और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से सहकारी ऋण तक पहुंच सुगम बनाकर इस पहल को सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ): प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को वित्तीय वर्ष 2020-21 से मात्स्यिकी के सर्वांगीण विकास और मछुआरों तथा मत्स्य किसानों के लाभ के लिए अब तक के सर्वाधिक निवेश 20,050 करोड़ रुपए के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार 2018-19 से 7522.48 करोड़ रुपए की कुल निधि के साथ फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड (FIDF) को भी कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार ने, अन्य बातों के अलावा, फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर डेव्लपमेंट फंड (FIDF) के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी है, जिसे 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अन्य बातों के अलावा पारंपरिक मछुआरों को बोट्स और नेट्स प्रदान करने, संचार एवं ट्रैकिंग उपकरणों के लिए सहायता, समुद्री सुरक्षा किट प्रदान करने, मछुआरों को बीमा कवरेज देने, डीप-सी फिशिंग वेसेल्स की खरीद में सहायता, समुद्री शैवाल एवं बाइवाल्व कल्चर जैसी वैकल्पिक/अतिरिक्त आजीविका गतिविधियाँ, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, कोल्ड-चेन और विपणन सुविधाओं आदि के लिए सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, योजना में फिशिंग बोट्स/वेसेल्स की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए फिशिंग हार्बर्स और फिश लैंडिंग सेंटर्स के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। तटीय लोगों की आजीविका सशक्त करने, मत्स्य निर्यात में वृद्धि करने और संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन हेतु फिशिंग हारबर्स और फिश लैंडिंग सेन्टर्स, डीप सी फिशिंग वेसेल्स, कोल्ड चेन सुविधाओं, फिश मारकेट्स एवं समुद्री कृषि यूनिट्स तथा इसकी सम्बद्ध गतिविधियों सहित पहचान की गईं फिशरीस इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास के लिए FIDF के अंतर्गत, अन्य बातों के अलावा राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों समेत पात्र संस्थाओं (एलीजीबल एंटीटीस) को विभिन्न फिशरीस तथा एक्वाकल्चर इनफ्रास्ट्रक्चर संबंधी सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त प्रदान किया जाता है ।

*****